संख्या-65/2021/1937 ई-2/तेरह-2021- 1488898

प्रेषक,

उमेश कुमार तिवारी,

उप सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,

उत्तर प्रदेश,

प्रयागराज।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊः दिनांकः01 अक्टूबर,2021

विषय- मेसर्स पारले बिस्कुट प्रा.लि.,परसेन्डी, जनपद बहराइच को बी-हैवी शीरे से अल्कोहल उत्पादन किये जाने के कारण स्वीकृत अधिष्ठापित क्षमता 210 लाख लीटर वार्षिक में अन्तरिम रूप से 25 प्रतिशत की वृद्धि किये जाने के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं.-जी-48/दो-प्रा.डी.-210/दिनांक 17 सितम्बर,2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2 . इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके उपर्युक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव / संस्तुति पर सम्यक विचारोपरान्त राज्य के औद्योगिक एवं राजस्व हित में मेसर्स पारले बिस्कुट प्रा.लि.,परसेन्डी, जनपद बहराइच को स्वीकृत अधिष्ठापित क्षमता 210 लाख लीटर वार्षिक के अतिरिक्त अन्तरिम रूप से 25 प्रतिशत अर्थात 52.5 लाख ब.ली.अल्कोहल का उत्पादन बी-हैवी शीरे से किये जाने की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि आसवक द्वारा बढ़ी हुयी क्षमता पर नियमानुसार तत्काल अनुज्ञापन शुल्क जमा किया जायेगा तथा आसवनी में उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कन्सेन्ट दिनांक 17-08-2021 के अन्तर्गत लगायी गयी शर्तों का अनुपालन करते हुए अल्कोहल उत्पादन का कार्य किया जायेगा तथा आसवनी में बी-हैवी शीरे के उपभोग के समाप्त होने पर सी-हैवी शीरे से अल्कोहल उत्पादन किये जाने हेतु आसवनी के सहायक आबकारी आयुक्त से अनुमति प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा। आसवक को इस सम्बन्ध में केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा बनाये गये/विद्यमान

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

सुसंगतनियमों/प्राविधानों/शासनादेशों एवं गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रेक्टिसेज (जी.एम.पी.) का अनुपालन सुनिश्चित करना भी अनिवार्य होगा। उक्त के अतिरिक्त आसवक को निम्नलिखित शर्तो का अनुपालन भी करना होगा:-

(1) इकाई द्वारा गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेज (जी.एम.पी.) का अनुपालन करते हुए उत्पादन सुनिश्चित किया जाएगा।

(2) भारत सरकार तथा प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित सम्बन्धित समस्त आवश्यक पर्यावरणीय व अन्य सांविधिक शर्तें।

(3) उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कन्सेन्ट आर्डर दिनांक 17-08-2021 द्वारा निर्गत जल सहमति एवं कन्सेन्ट आर्डर दिनांक 17-08-2021 द्वारा निर्गत वायु सहमति में उल्लिखित शर्तें।

कृपया तदनुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(उमेश कुमार तिवारी)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।